"बिजनेस पोस्ट के अन्तर्गत डाक शुल्क के नगद भुगतान (बिना डाक टिकट) के प्रेषण हेतु अनुमत. क्रमांक जी. 2-22-छत्तीसगढ़ गजट/38 सि. से. भिलाई, दिनांक 30-5-2001."



पंजीयन क्रमांक
"छत्तीसगढ़/दुर्ग/09/2010-2012."

छत्तीसगढ़ राजपत्र

(असाधारण)
प्राधिकार से प्रकाशित

क्रमांक 307] रायपुर, शुक्रवार, दिनांक 14 दिसम्बर 2012—अग्रहायण 23, शक 1934

परिवहन विभाग

मंत्रालय, महानदी भवन, नया रायपुर

रायपुर, दिनांक 14 दिसम्बर 2012

अधिसूचना

क्रमांक एफ 1-15/दो/आठ-परि./12.— भारत के संविधान के अनुच्छेद 309 के परन्तुक द्वारा प्रदत्त शक्तिओं को प्रयोग में लाते हुए, छत्तीसगढ़ के राज्यपाल, एतद्द्वारा, छत्तीसगढ़ परिवहन विभाग अधीनस्थ, तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक) सेवा भर्ती तथा सेवा की शर्तें नियम, 2008 में निम्नलिखित संशोधन करते हैं, अर्थात् :-

संशोधन

उक्त नियमों में, -

1. नियम 2 के खण्ड (झ) के पश्चात्, निम्नलिखित जोड़ा जाये, अर्थात् :-
   "(ञ) "आयोग" से अभिप्रेत है, छत्तीसगढ़ लोक सेवा आयोग."

2. नियम 8 के उप-नियम (5) के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाये, अर्थात् :-
   "(5) **फीस**-अभ्यर्थियों को ऐसी फीस का भुगतान करना होगा, जो नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा विहित की जाए तथा आयोग द्वारा चयन किये जाने की दशा में अभ्यर्थियों द्वारा ऐसी फीस का भुगतान किया जायेगा, जैसी कि आयोग द्वारा विहित की जाए."

3. नियम 12 के उप-नियम (1) के खण्ड (दो) के पश्चात्, निम्नलिखित अंत:स्थापित किया जाए, अर्थात् :-

"(तीन) सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी एवं परिवहन उप-निरीक्षक (तकनीकी) के पद पर भर्ती के लिए प्रतियोगी परीक्षा ऐसे अंतरालों से आयोजित की जायेगी, जैसा कि नियुक्ति प्राधिकारी द्वारा अधिसूचित किया जाये, जो समय-समय पर आयोग के परामर्श से निश्चित की जा सकेगी.

(चार) परीक्षा ऐसे नियमों तथा आदेशों के अधीन आयोजित की जायेगी, जैसा कि शासन समय-समय पर आयोग से परामर्श से विहित/जारी करे.

(पांच) उपर्युक्त खण्ड (तीन) में उल्लिखित पदों के लिये अभ्यर्थियों का चयन ऐसी रीति से किया जाएगा, जैसा कि आयोग द्वारा अवधारित किया जाए."

4. अनुसूची-एक, दो, तीन एवं चार के स्थान पर, निम्नलिखित प्रतिस्थापित किया जाए, अर्थात् :-

अनुसूची-एक
(नियम-5 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	कर्तव्य पदों की संख्या			सेवा में सम्मिलित पदों की श्रेणी व वर्गीकरण	वेतनमान
		पदों की कुल संख्या	तकनीकी	गैर तकनीकी		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	22	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	वेतन बैंड 9300-34800+ग्रेड वेतन 4300
2.	परिवहन निरीक्षक	37	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	वेतन बैंड 9300-34800+ग्रेड वेतन 4300
3.	परिवहन उप-निरीक्षक	39	50 प्रतिशत	50 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	वेतन बैंड 5200-20200+ग्रेड वेतन 2800
4.	परिवहन सहायक उप-निरीक्षक.	12	-	100 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	वेतन बैंड 5200-20200+ग्रेड वेतन 2400
5.	प्रधान आरक्षक	48	-	100 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	वेतन बैंड 5200-20200+ग्रेड वेतन 2200
6.	आरक्षक	133	-	100 प्रतिशत	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	वेतन बैंड 5200-20200+ग्रेड वेतन 1900

खण्ड - ब : गैर-प्रवर्तन संवर्ग

1.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	03	-	-	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	पैतृक संवर्ग का वेतनमान
2.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	07	-	-	तृतीय श्रेणी (कार्यपालिक)	पैतृक संवर्ग का वेतनमान

अनुसूची-दो
(नियम-6 देखिए)

स. क्र.	सेवा/पद का नाम	कर्तव्य पदों की कुल संख्या	भर्ती के तरीकों के अनुसार भरे जाने वाले कर्तव्य पदों का प्रतिशत			
			सीधी भर्ती द्वारा	फीडर संवर्ग के पदों पर कार्यरत विभागीय सेवा के कर्मचारियों की पदोन्नति के द्वारा	अन्य सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण के द्वारा	अन्य तरीके (अनुकंपा नियुक्ति/संविदा नियुक्ति/संविलियन/अन्य)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	22	50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग द्वारा.	50 प्रतिशत	निरंक	निरंक
2.	परिवहन निरीक्षक	37	निरंक	85 प्रतिशत	15 प्रतिशत (सभी अराजपत्रित)	निरंक
3.	परिवहन उप-निरीक्षक	39	50 प्रतिशत लोक सेवा आयोग द्वारा.	15 प्रतिशत	15 प्रतिशत (सभी गैर तकनीकी) पुलिस विभाग से स्थानांतरण अथवा प्रतिनियुक्ति द्वारा.	20 प्रतिशत (सभी गैर तकनीकी सीधी भर्ती पार्श्व प्रवेश योजना के तहत विभागीय लिपिक वर्गीय सेवा से सीमित प्रतियोगिता परीक्षा के माध्यम से चयन द्वारा)
4.	परिवहन सहायक उप-निरीक्षक.	12	निरंक	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक
5.	प्रधान आरक्षक	48	निरंक	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक
6.	आरक्षक	133	100 प्रतिशत	निरंक	निरंक	निरंक
7.	सहायक सांख्यिकी अधिकारी.	03	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत (आर्थिक सांख्यिकी विभाग के संबंधित सदस्य के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	निरंक
8.	कनिष्ठ लेखाधिकारी	07	निरंक	निरंक	100 प्रतिशत (वित्त विभाग की अधीनस्थ लेखा सेवा के सदस्यों के स्थानांतरण या प्रतिनियुक्ति के द्वारा)	निरंक

अनुसूची-तीन
(नियम-8 देखिए)

स. क्र.	सेवा में सम्मिलित पदों के नाम	न्यूनतम आयु सीमा	अधिकतम आयु सीमा	शैक्षणिक अर्हता	चयन समिति
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
1.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	24 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य अर्हता :-** आटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में किसी मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय से स्नातक डिग्री. **वांछनीय :-** (1) किसी प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल वर्कशाप, जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन वाले हल्के मोटरयानों/भारी मालयानों तथा भारी यात्री मोटरयानों की मरम्मत की जाती है, में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव. (2) मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चलाने को प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस धारण करता हो.	लोक सेवा आयोग द्वारा
2.	परिवहन उप-निरीक्षक (तकनीकी)	21 वर्ष	30 वर्ष	**अनिवार्य अर्हता :-** किसी मान्यता प्राप्त विश्वविद्यालय से स्नातक डिग्री और ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग या मैकेनिकल इंजीनियरिंग में मान्यता प्राप्त विश्व-विद्यालय/संस्थान से पत्रोपाधि (डिप्लोमा). **वांछनीय :-** (1) किसी प्रतिष्ठित ऑटोमोबाइल वर्कशाप, जिसमें पेट्रोल या डीजल इंजन वाले हल्के मोटरयानों/भारी मालयानों तथा भारी यात्री मोटरयानों की मरम्मत की जाती है, में कार्य करने का कम से कम 1 वर्ष का अनुभव. (2) मोटरसाइकिल, भारी मोटरयान तथा भारी यात्री मोटरयान चलाने को प्राधिकृत करने वाला ड्राइविंग लाइसेंस धारण करता हो.	लोक सेवा आयोग द्वारा
3.	परिवहन उप-निरीक्षक (गैर-तकनीकी)	-	45 वर्ष	अनुसूची-5 के अनुसार	कॉलम (1) में स. क्र. 3 से 4 तक विनिर्दिष्ट दोनों पदों हेतु कार्य करेगा.
4.	परिवहन आरक्षक	18 वर्ष	35 वर्ष	माध्यमिक शिक्षा मण्डल या राज्य सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी संस्था से हायर सेकेण्डरी स्कूल प्रमाण पत्र परीक्षा या (10+2) शिक्षा प्रणाली के अंतर्गत 12वीं परीक्षा उतीर्ण.	(1) अपर परिवहन आयुक्त. - अध्यक्ष (2) संयुक्त परिवहन आयुक्त. - सदस्य (3) उपसंचालक (वित्त)-सदस्य (4) सहायक परिवहन आयुक्त. - सदस्य-सचिव

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
					(5) यदि उपर्युक्त से कोई भी अधिकारी संबंधित नहीं है, तो आरक्षित वर्ग का एक अधिकारी, जो सहायक परिवहन आयुक्त की श्रेणी से निम्न श्रेणी का न हो, नामांकित किया जायेगा. (6) चयन समिति, नियुक्ति प्राधिकारी के अनुमोदन के पश्चात् या नियुक्ति प्राधिकारी स्वविवेक से उचित प्रतीत होने पर किसी अन्य विभाग के द्वितीय या इससे उच्च श्रेणी के अधिकारी, जिसे भर्ती संबंधी कार्य का उचित अनुभव हो, नामांकित कर सकता है.

टीप - छत्तीसगढ़ राज्य के स्थानीय निवासी अभ्यर्थियों के लिए, उच्चतर आयु सीमा समय-समय पर सामान्य प्रशासन विभाग द्वारा जारी किए गए निर्देशों के अनुसार शिथिलनीय होगी.

अनुसूची-चार
(नियम-15 देखिए)

स. क्र.	पदों के नाम जिनसे पदोन्नति की जानी है	पद के लिए पात्रता हेतु अनुभव की न्यूनतम कालावधि	पद का नाम जिस पर पदोन्नति की जानी है	विभागीय पदोन्नति समिति के सदस्यों के पदनाम
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	5 वर्ष	क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामित सदस्य-अध्यक्ष. (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह परिवहन आयुक्त-सदस्य. (3) अपर परिवहन आयुक्त-सह विशेष सचिव-सदस्य.
2.	परिवहन निरीक्षक	5 वर्ष	सहायक क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी.	(1) अध्यक्ष, लोक सेवा आयोग या उनके द्वारा नामित सदस्य-अध्यक्ष. (2) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह परिवहन आयुक्त-सदस्य. (3) अपर परिवहन आयुक्त-सदस्य. (4) संयुक्त/उप-सचिव परिवहन-सदस्य (5) संयुक्त/उप-परिवहन आयुक्त-सदस्य.
3.	परिवहन उप-निरीक्षक	5 वर्ष	परिवहन निरीक्षक	(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह परिवहन आयुक्त-अध्यक्ष. (2) अपर परिवहन आयुक्त- सदस्य (3) संयुक्त/उप-सचिव परिवहन-सदस्य (4) संयुक्त/उप-परिवहन आयुक्त-सदस्य-सचिव.

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
4.	सहायक परिवहन उप-निरीक्षक	5 वर्ष	परिवहन उप-निरीक्षक	(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह परिवहन आयुक्त-अध्यक्ष. (2) अपर परिवहन आयुक्त- सदस्य (3) संयुक्त/उप-सचिव परिवहन-सदस्य (4) संयुक्त/उप-परिवहन आयुक्त-सदस्य-सचिव.
5.	प्रधान आरक्षक	5 वर्ष	सहायक परिवहन उप-निरीक्षक.	(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह परिवहन आयुक्त-अध्यक्ष. (2) अपर परिवहन आयुक्त- सदस्य (3) संयुक्त/उप-सचिव परिवहन-सदस्य (4) उप-संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय - सदस्य -सचिव.
6.	आरक्षक	5 वर्ष	प्रधान आरक्षक	(1) अपर मुख्य सचिव/प्रमुख सचिव/सह परिवहन आयुक्त-अध्यक्ष. (2) अपर परिवहन आयुक्त- सदस्य (3) संयुक्त/उप सचिव परिवहन-सदस्य (4) उप-संचालक (वित्त)/लेखाधिकारी, परिवहन आयुक्त कार्यालय - सदस्य -सचिव.

Raipur, the 14th December 2012

NOTIFICATION

No. F 1-15/Two/Eight-Trans./12.—In exercise of the powers conferred by the proviso to Article 309 of the Constitution of India, the Governor of Chhattisgarh, hereby, makes the following amendment in the Chhattisgarh Transport Department Sub-ordinate, Class-III (Executive) Service Recruitment and Condition of Service Rules, 2008, namely :- -

AMENDMENT

In the said Rules, -

1. After clause (i) of Rule 2, the following shall be added, namely :-
   "(j) "Commission" means the Chhattisgarh Public Service Commission."

2. For Sub-rule (5) of Rule 8, the following shall be substituted, namely :-
   "(5) **Fees-** The Prescribed fee shall be paid by the Appointing Authority to the applicant such fees as may be fixed by the Public Service Commission shall be paid to the selected person by such Commission."

3. After clause (ii) of sub-rule (1) of Rule 12, the following shall be inserted, namely :—
   "(iii) The Competitive Examination for the recruitment of the post of Assistant Regional Transport Officer and Transport Sub-Inspector (Technical) shall be arranged at such interval as may be notified by the Appointing Authority, which may be fixed with the consultation of the Commission from time to time.

   (iv) The examination shall be arranged under such rules and order which the Government prescribe with the consultation of the Commission from time to time.

   (v) The person on the post mentioned in clause (iii) shall be selected with such procedure which has been prescribed by the Commission."

4. For Schedule-I, II, III and IV, the following shall be substituted, namely :—

SCHEDULE-I
(See Rule 5)

S. No.	Name of the post included in the Service	Number of duty Posts			Rank and Classification at posts included in service	Scale of Pay
		Total number of posts	Technical	Non-Technical		
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Regional Transport Officer.	22	50%	50%	Class-III (Executive)	Pay Band 9300-34800+Grade Pay 4300.
2.	Transport Inspector.	37	50%	50%	Class-III (Executive)	Pay Band 9300-34800+Grade Pay 4300.
3.	Transport Sub-Inspector.	39	50%	50%	Class-III (Executive)	Pay Band 5200-20200+Grade Pay 2800.
4.	Transport Assistant Sub-Inspector.	12	-	100%	Class-III (Executive)	Pay Band 5200-20200+Grade Pay 2400.
5.	Head Constable	48	-	100%	Class-III (Executive)	Pay Band 5200-20200+Grade Pay 2200.
6.	Constable	133	-	100%	Class-III (Executive)	Pay Band 5200-20200+Grade Pay 1900.
	Clause-B : Non-Operational Cadre					
1.	Assistant Statistics Officer.	03	-	-	Class-III (Executive)	Pay scale of parental cadre
2.	Junior Account Officer.	07	-	-	Class-III (Executive)	Pay scale of parental cadre

SCHEDULE-II
(See Rule 6)

S. No.	Name of Service/Post	Total Number of duty posts	Percent of duty post to be filled in accordance of method of recruitment			
			By direct recruit-ment	By Promotion of employees of Departmental service working on the post of feeder cadre	By transfer of member of other service	Other method (Compassionate appointment/Contract appointment/Absorbed/Other)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
1.	Assistant Regional Transport Officer.	22	50% By PSC	50%	Nil	Nil

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
2.	Transport Inspector	37	Nil	85%	15% (All Non-Gazetted)	Nil
3.	Transport Sub-Inspector.	39	50% By PSC	15%	15% (All Non-Technical) by transfer or deputation from Police Department	20% (All Non- Technical direct recruitment by selection through limited competitive examination from departmental ministerial service under lateral entry scheme)
4.	Transport Assistant Sub-Inspector.	12	Nil	100%	Nil	Nil
5.	Head Constable	48	Nil	100%	Nil	Nil
6.	Constable	133	100%	Nil	Nil	Nil
7.	Assistant Statistics Officer.	03	Nil	Nil	100 Percent (By transfer or deputation of respective members of Economic Statistics Department)	Nil
8.	Junior Account Officer.	07	Nil	Nil	100% (By transfer or deputation of members of subordinate Account Service of Finance Department)	Nil

SCHEDULE—III
(See Rule 8)

S. No. (1)	Name of posts included in the service (2)	Minimum age limit (3)	Maximum age limit (4)	Education qualification (5)	Selection Committee (6)
1.	Assistant Regional Transport Officer.	24 Years	30 Years	**Compulsory qualification :—** Graduate in Automobile Engineering or Mechanical Engineering from recognized university. **Desirable :—** (1) Minimum one year working experience in any emeritus automobile workshop where are repaired Light Motor Vehicle/ Heavy Goods Vehicle and Heavy Passenger Motor Vehicle having Petrol or diesel. (2) Hold a driving license authorized to drive motor cycle, Heavy Motor Vehicle and Heavy Passenger Motor Vehicle.	By Public Service Commission

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
2.	Transport Sub-Inspector (Technical)	21 Years	30 Years	**Compulsory qualification :—** Graduate from recognized university and diploma in Automobile Engineering or Mechanical Engineering from recognized university/institute. **Desirable :—** (1) Minimum one year working experience in any emeritus auto-mobile workshop where are repaired Light Motor Vehicle/ Heavy Goods Vehicle and Heavy Passenger Motor Vehicle having Petrol or diesel. (2) Hold a driving license authorized to drive motor cycle, Heavy Motor Vehicle and Heavy Passenger Motor Vehicle.	By Public Service Commission
3.	Transport Sub-Inspector (Non-Technical)	-	45 Years	As Schedule-V	Shall work for both the post specified up to serial number 3 to 4 in column-(1).
4.	Transport Constable	18 Years	35 Years	Must have passed Higher Secondary School Certificate Examination or 12th Examination under (10+2) Education System, from Board of Secondary Education or from any institution recognized by the State Government.	(1) Upper Transport Commissioner— Chairman (2) Joint Transport Commissioner— Member (3) Deputy Director Finance — Member (4) Assistant Transport Commissioner— Member-Secretary (5) If any officer is not belonging from above, officer shall be nominated from reserved category who is not below the rank of Assistant Transport Commissioner. (6) Selection Committee, after approval by Appointing Autority or Appointing Authority by own motion if appear him fit may nominates the officer of Class-II or higher rank to other department who have good knowledge about recruitment work.

Note :— The upper age limit shall be relaxed, for the candidates who are bonafide local resident of Chhattisgarh State, as per instruction issued by the General Administration Department, from time to time.

SCHEDULE—IV
(See Rule 15)

S. No.	Name of the posts from which promotion is to be made	Minimum experience period for eligibility for post	Name of the post to which promotion is to be made	Name of members of Departmental Promotion Committee
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1.	Assistant Regional Transport Officer.	5 Years	Regional Transport Officer	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by them. — Chairman (2) Upper Chief Secretary/ Principal Secretary/Cum-Transport Commissioner. — Member (3) Upper Trasport Commissioner-Cum Special Secretary. — Member
2.	Transport Inspector	5 Years	Assistant Regional Transport Officer	(1) Chairman, Public Service Commission or member nominated by them. — Chairman (2) Upper Chief Secretary/ Principal Secretary/Cum-Transport Commissioner. — Member (3) Upper Trasport Commissioner. — Member (4) Joint/Deputy Transport Secretary. — Member (5) Joint/Deputy Transport Commissioner. — Member
3.	Transport Sub-Inspector.	5 Years	Transport Inspector	(1) Upper Chief Secretary/ Principal Secretary/Cum-Transport Commissioner. — Chairman (2) Upper Trasport Commissioner. — Member (3) Joint/Deputy Transport Secretary. — Member (4) Joint/Deputy Transport Commissioner. — Member Secretary
4.	Transport Assistant Sub-Inspector.	5 Years	Transport Sub-Inspector	(1) Upper Chief Secretary/ Principal Secretary/Cum-Transport Commissioner. — Chairman (2) Upper Trasport Commissioner. — Member (3) Joint/Deputy Transport Secretary. — Member (4) Joint/Deputy Transport Commissioner. — Member Secretary
5.	Head Constable	5 Years	Transport Assistant Sub-Inspector	(1) Upper Chief Secretary/ Principal Secretary/Cum-Transport Commissioner. — Chairman (2) Upper Trasport Commissioner. — Member

(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
				(3) Joint/Deputy Transport Secretary. — Member (4) Deputy Director (Finance)/ Account Officer, Transport Commissioner Office. — Member Secretary
6.	Constable	5 Years	Head Constable	(1) Upper Chief Secretary/ Principal Secretary/Cum-Transport Commissioner. — Chairman (2) Upper Trasport Commissiner. — Member (3) Joint/Deputy Transport Secretary. — Member (4) Deputy Director (Finance)/ Account Officer, Transport Commissioner Office. — Member Secretary

छत्तीसगढ़ के राज्यपाल के नाम से तथा आदेशानुसार,
एम. एस. तोमर, सचिव.

संचालक, मुद्रण तथा लेखन सामग्री, छत्तीसगढ़ द्वारा शासकीय क्षेत्रीय मुद्रणालय, राजनांदगांव से मुद्रित तथा प्रकाशित-2012.